संख्या 1016/उन्तीस/05–2 पे0/2005

प्रेषक,

बी0पी0 पाण्डेय,
सचिव, पेयजल
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

पेयजल अनुभाग देहरादून : दिनांक 18 अप्रैल, 2005

विषयः हैण्डपम्पों के रखरखाव एवं नवीन हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के संबंध में।

महोदय,

विगत कुछ वर्षों से यह अनुभव किया जा रहा है कि प्राकृतिक जल श्रोतों का श्राव ग्रीष्म ऋतु में कम हो जाने अथवा सूख जाने के कारण राज्य के कई स्थानों पर गंभीर पेयजल संकट उत्पन्न हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की खपत बढ़ जाने, विद्युत आपूर्ति में व्यवधान होने तथा पेयजल व्यवस्था में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाने के कारण भी कई स्थानों पर पेयजल संकट उत्पन्न हो जाता हैं। ऐसी स्थिति में टैंकरों तथा खच्चरों के माध्यम से भी पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है, किन्तु इस व्यवस्था से समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाता हैं।

2. विगत कुछ वर्षों से राज्य के मैदानी क्षेत्रों की भाँति पर्वतीय क्षेत्रों में हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का कार्य वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सफल रहा है। विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में ये हैण्डपम्प वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अति उपयोगी सिद्ध हुये हैं। ग्रीष्म ऋतु सन्निकट है तथा इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या

उत्पन्न न हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि ऐसे अभावग्रस्त क्षेत्रों जहॉ विगत वर्षो में पेयजल का अत्यन्त अभाव रहा हैं, को चिन्हित कर उनका विशेषज्ञों से जियोहाइड्रोलॉजिकल (Geohydrological) सर्वे कराकर हैण्डपम्पों के स्थान निश्चित किये जाय। उत्तरांचल पेयजल निगम एवं उत्तरांचल जल संस्थान के पास हैण्डपम्पों के अधिष्ठान के लिए जो धनराशि जिला प्लान एवं राज्य प्लान के अन्तर्गत अवशेष है, उसके अन्तर्गत हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन का कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कराया जाय।

3. हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की प्राथमिकता जिलाधिकारी के स्तर से निर्धारित की जानी हैं। इस संबंध में शासनादेश संख्या 3093/उन्तीस/05/2(50पे0)/2004 दिनांक 18–01–2005 द्वारा हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु ग्राम/तोक/वार्ड का चयन उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा संबंधित जिले के जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर कार्य आरम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये थे, में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ हैं कि हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की प्राथमिकता जनपद स्तर पर मा0 सांसद , मा0 विधायकगण, संबंधित विभाग के अधिशासी अभियन्ता, जिला पंचायत के प्रतिनिधि एवं मुख्य विकास अधिकारी को सम्मिलित कर समिति गठित करते हुए निर्धारित कर ली जाय।

4. राज्य में उत्तरांचल पेयजल निगम एवं उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा अधिष्ठापित हैण्डपम्पों का विवरण आपको इस अनुरोध के साथ संलग्नकर प्रेषित किया जा रहा हैं कि ग्रीष्म ऋतु से पूर्व इन अधिष्ठापित हैण्डपम्पों का सर्वेक्षण कराकर खराब पड़े हैण्डपम्पो को युद्व स्तर पर सम्बन्धित विभागों के माध्यम से ठीक कराया जाना अत्यन्त आवश्यक हैं। प्रयास किया जाय कि हैण्डपम्पों के खराब होने पर उसकी मरम्मत की तत्काल व्यवस्था हो। यह भी आवश्यक होगा कि उत्तरांचल पेयजल निगम एवं उत्तरांचल जल संस्थान के सम्बन्धित अधिकारियों की प्रति सप्ताह बैठक कर अधिष्ठापित किये जा रहे हैण्डपम्पों की प्रगति एवं अधिष्ठापित हैण्डपम्पों में से कितने हैण्डपम्प चालू स्थिति में हैं, कितने खराब हैं, कब से खराब हैं, खराब होने का कारण तथा चालू किये जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है, की समीक्षा आपके स्तर से की जाय।

आपसे यह भी अपेक्षा की जाती हैं कि आपके स्तर पर की गई समीक्षा से शासन को भी अवगत कराया जाय।

5. जहॉ तक हैण्डपम्पों के रखरखाव हेतु वांछित धनराशि का प्रश्न है, यह उल्लेखनीय है कि पेयजल विभाग द्वारा त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 प्रतिशत धनराशि ग्राम्य विकास आयुक्त को ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रखरखाव हेतु हस्तान्तरित की जाती हैं। ग्राम्य विकास आयुक्त द्वारा इस धनराशि को जनपदों में मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से वितरित किया जाता है। अतः कृपया उक्त धनराशि में से हैण्ड पम्पों की मरम्मत की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यदि उक्त धनराशि पर्याप्त न हो तो जनपद की जिला योजना में आवश्यक प्राविधान कर लिया जाय। जहॉ तक नगरीय क्षेत्रों मं हैण्डपम्पों के रखरखाव का प्रश्न है, इस संबंध में या तो स्थानीय निकायों द्वारा इनका रखरखाव कराया जायेगा अथवा उत्तरांचल पेयजल निगम या उत्तरांचल जल संस्थान के माध्यम से करायें जाने की स्थिति में उन्हें स्थानीय निकायों/ राज्य सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। जहॉ तक हैण्डपम्पों के ग्रामों में स्थल चयन का कार्य का प्रश्न है, इस संबंध में संबंधित ग्राम प्रधानों की सहमति के उपरान्त संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा किया जाय।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बी0पी0पाण्ड़ेय)
सचिव

पत्रसंख्या 1016/उन्तीस/05–2पे0/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–

1– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, को मा0 मुख्यमंत्री जी को सादर अवगत कराने हेतु प्रेषित।

2. प्रबन्धनिदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिष्ठापित किये गये हैण्डपम्पों की सूची स्थल सहित तत्काल जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराये जाने हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये जायं तथा खराब पड़े हैण्डपम्पों की मरम्मत युद्व स्तर पर की जाय।

3. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिष्ठापित किये गये हैण्डपम्पों की सूची स्थलसहित तत्काल जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराये जाने हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये जायं तथा खराब पड़े हैण्डपम्पों की मरम्मत युद्व स्तर पर की जाय।

4. मुख्य अभियन्ता, उत्तरांचल पेयजल निगम, नैनीताल/पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5. महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, पौड़ी/नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।

7. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराने हेतु प्रेषित।

9. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराने हेतु प्रेषित।

10. निदेशक, N.I.C. देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून उत्तरांचल में जनपदवार स्थापित हैण्ड पम्पों की संख्या		
क्रमांक	जनपद	स्थापित हैण्ड पम्प
01	02	03
01	देहरादून	1172
02	टिहरी	69
03	रुद्रप्रयाग	24
04	पौड़ी	210
05	हरिद्वार	5875
06	अल्मोड़ा	40
07	चम्पावत	135
08	पिथौरागढ़	42
09	बागेश्वर	3
10	नैनीताल	3822
11	उधमसिंह नगर	415
	योग	11807

उत्तरांचल जल संस्थान

पर्वतीय क्षेत्र में अधिष्ठापित डीपबोर इडिया मार्क–।।/ ।।। हैण्ड पम्पों का जनपदवार विवरण।

कमांक	जनपद	अधिष्ठापित हैण्ड पम्प
1.	देहरादून	66
2.	पौड़ी	228
3.	टिहरी	212
4.	चमोली	94
5.	रुद्रप्रयाग	53
6.	उत्तरकाशी	136
योग गढ़वाल–		789
1.	नैनीताल	98
2.	अल्मोड़ा	143
3.	बागेश्वर	125
4.	पिथौरागढ	124
5.	चम्पावत	142
योग कुमायूँ–		632
कुल योग–		1421